मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 183
21.06.2019 को उत्तर के लिए

वन्य पशुओं द्वारा फसलों की बर्बादी

183. श्री दीपक बैज :
श्री राहुल कस्वां :
श्री अजय कुमार टेनी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आवारा और वन्य पशुओं द्वारा फसलों की बर्बादी के परिणाम स्वरूप नुकसान उठाने वाले किसानों को मुआवजा प्रदान करती है;
(ख) यदि हां, तो इसके लिए कार्यान्वित की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वन्य पशुओं द्वारा किसानों के फसलों को हुए नुकसान की मात्रा का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या वन्य पशुओं द्वारा फसलों की बर्बादी के परिणामस्वरूप किसान प्रतिवर्ष भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा फसलों को वन्य पशुओं से बचाने के लिए अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावेडकर)

(क) और (ख) मंत्रालय 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को वन्यजीव और उसके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस सहायता में पशुओं की चोरी, फसलों को क्षतिग्रस्त करना और जीवन और संपत्ति के नुकसान सहित वन्यजीवों द्वारा उपद्रव करने पर मुआवजा भी शामिल है।

(ग) और (घ) ऐसे मतभेदों का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है। किसान की फसलों के नुकसान की मात्रा और वन्यजीवों द्वारा हर साल फसलों का नष्ट करने पर होने वाले नुकसान का विवरण मंत्रालय द्वारा समेकित नहीं किया जाता है।

(ड.) वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उपचारात्मक उपाय किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :

i. फसल युक्त खेतों में वन्य जीवों के प्रवेश को रोकने लिए भौतिक अवरोधकों, जैसे कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा आधारित इलैक्ट्रिक बाड़, कैक्टस का प्रयोग करते हुए जैव बाड़, चारदीवारी इत्यादि का संनिर्माण।
ii. मंत्रालय ने हाल ही में, वन्यजीव उपद्रवों से संबंधित अनुग्रह राशि की दरें बढ़ायी हैं जो इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	**वन्य पशुओं द्वारा की गई क्षति का स्वरूप**	**अनुग्रह राहत की राशि**
(क)	मृत्यु, या स्थायी रूप से अक्षम होना	5,00,000 रू.
(ख)	गंभीर रूप से घायल	2,00,000 रू.
(ग)	मामूली रूप से घायल	प्रति व्यक्ति 25000 रू. तक उपचार की लागत

(घ)	संपत्ति/ फसलों की हानि	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारें उनके लिए निर्धारित लागत मानदंडों का अनुपालन कर सकती हैं।

iii. मंत्रालय ने फसलों की क्षति और विनाश के लिए जिम्मेदार वन्यजीवों की संख्या को नियंत्रित करने हेतु 'उन्मुक्ति-गर्भनिरोधक उपाय' करने के लिए एक परियोजना को स्वीकृति दी है।

iv. वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत देश भर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्रों अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिज़र्वों और समुदाय रिज़र्वों का तंत्र सृजित किया गया है।

v. रेखीय अवसंरचनाओं जैसे कि रेलवे लाइनों, सड़कों/राजमार्गों तथा संरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीव बहुल क्षेत्रों से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनों के साथ वन्यजीवों के संघर्ष का उपशमन करने के लिए वन्यजीव संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति ने अनुशंसा की है कि सभी रेखीय अवसंरचना विकास एजेंसियां डब्ल्यूआईआई दिशानिर्देशों ''वन्यजीवों पर रेखीय अवसंरचना के प्रभावों के उपशमन के लिए पर्यावरण अनुकूल उपाय'' के आधार पर वन्यजीव पैसेज योजना प्रस्तुत करें। ये दिशानिर्देश पर्यावरण अनुकूलन संरचना उपलब्ध कराते हुए रेखीय अवसंरचना के डिजाइनों में सुधार के लिए सुझाव देते हैं जिससे इन रेखीय अवसंरचनाओं के आर-पार वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी।

vi. जन संचार के विभिन्न साधनों द्वारा सूचना के प्रसार सहित मानव-पशु संघर्ष के बारे में आम जनता को सुग्राही बनाने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें सलाह देने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाना।

*****